



# कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फोन नं. नम्बर - 0141-5110694

क्रमांक:- एफ-६ ( ) उपा.राज.(प्रथम) / होर्डिंग / ननिज / 2017 / 170

ई-मेल :- dcudtjmc@gmail.com

दिनांक:- 13/10/17

## नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहैड साईंटेज (गैर्ड्री), ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर, निर्मित लघु विज्ञापन बोर्ड 8x4 यूनिपोल, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित यूनिपोल साईंट 20x10 वर्गफुट, व सूची में अंकित चिह्नित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई यूनिपोल विज्ञापन साईंट लगाने व यूनिपोल विज्ञापन साईंटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, पुराना मीटिंग हॉल में की जायेगी।

नीलामी दिनांक 06.11.2017 से 08.11.2017 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1	यूनिपोल- मोती झूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्यावर नगर जोन, मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व)	06.11.2017	16'X8' साईंज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पद्धत हजार रु.) प्रति साईंट व 30'X15' साईंज के यूनिपोल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईंट
2	बैकलिट टॉवर - समूह मे 15 नई साईंट्स लघु विज्ञापन बोर्ड 8x4 - 50 नई साईंट्स कियोस्क (बिजली के खंभों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), हवामहल (पूर्व) जोन, विद्यावर नगर जोन, सांगानेर जोन, मातीझूंगरी जोन, निर्मित ओवरहैड साईंटेज (गैर्ड्री), निर्मित यूनिपोल साईंट 20X10 वर्गफुट, निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण	07.11.2017	बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए 20,000 (बीस हजार रु.) प्रति टॉवर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), रुपये 50,000/- (पचास हजार रु.) कियोस्क हेतु रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रति जोन, निर्मित ओवरहैड साईंटेज (गैर्ड्री) प्रति 20,000 रु. (बीस हजार रु.), निर्मित यूनिपोल साईंट 20'X10 रुपये 20,000/- (बीस हजार रु.) प्रति निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण हेतु रुपये 15,000/- (पद्धत हजार रु.) प्रति।
3	उपरोक्त में से शेष बची विज्ञापन साईंटें	08.11.2017	शेष विज्ञापन साईंट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार

### नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त यूनिपोल, निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर, निर्मित लघु विज्ञापन बोर्ड 8x4 यूनिपोल, निर्मित ओवरहैड साईंटेज (गैर्ड्री), कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) एवं निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित यूनिपोल साईंट 20x10 वर्गफुट लाइसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जायेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईंटें हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की घौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईंटों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईंटों की सूची व शर्तों की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट [www.jaipur.mc.org](http://www.jaipur.mc.org) एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 226/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 122 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट पर भी देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर

### प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी/हिन्दी राष्ट्रीय (दिल्ली-मुम्बई के समाचार पत्र) एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित करावे।

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर

**यूनिपोल साईट**  
**मोतीझुंगरी जोन नवम्बर 2017**  
**नीलामी की सूची**

1	MDZ-03	16x8	टॉक रोड, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.टी.स्कूल की दीवार के पास बने स्लीप लाईन पर साईट सं. मोतीझुंगरी जोन 2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर, दीवार के समानान्तर।	
2	MDZ- 33	16x8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न.2।	
3	MDZ- 36	16x8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ के समानान्तर।	
4	MDZ- 44	16x8	राजापार्क, पंचवटी सर्किल सरकारी स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
5	MDZ-46	16x8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर	
6	MDZ-47	16x8	मोतीझुंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे, गोविन्द मार्ग की ओर से समानान्तर, वि.प.न.1।	
7	MDZ- 59	16x8	जे.एल.एन. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर, मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1	
8	MDZ- 64	16x8	एम.आई.रोड, रंगमंच के गेट के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर।	
9	MDZ-66	16x8	एम.आई.रोड सरावगी मेन्शन के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर	
10	MDZ-68	16x8	टॉक रोड, रिजर्व बैंक के पास, तख्तेशाही रोड के उत्तरी कोने पर।	
11	MDZ- 84	30X15	जे.एल.एन. मार्ग, मुकबिर स्कूल के दक्षिणी गेट के पास।	
12	MDZ- 87	30X15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे फ्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर जगतपुरा देखते हुये।	

13	<b>MDZ- 91</b>	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सी.टी.पी. कार्यालय के पास, बसशैल्टर के दक्षिणी ओर।	<b>NEW SITE</b>
14	<b>MDZ- 92</b>	30x15	झालाना बाईपास रोड़, केन्द्रीय विद्यालय नं. 3 के बाहर फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
15	<b>MDZ- 93</b>	30x15	झालाना बाईपास रोड़, झालाना शमशान घाट, के बाहर फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
16	<b>MDZ- 94</b>	30x15	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल, पुलिस आयुक्त (पूर्व) कार्यालय के पास फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
17	<b>MDZ- 95</b>	30x15	जगतपुरा मालवीय नगर रोड़, अण्डरपास अंजनी केफे के सामने।	<b>NEW SITE</b>
18	<b>MDZ- 96</b>	30x15	टोंक रोड़, सौम्य मार्ग के कोने पर आईलैण्ड पर।	<b>NEW SITE</b>
19	<b>MDZ- 97</b>	16x8	टोंक रोड़ रामबाग चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी ओर पीसीजे ज्वैलर्स के बाहर फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>

**यूनिपोल साईट**  
**विद्याधर नगर जोन नवम्बर 2017**  
**नीलामी की सूची**

1	VDZ-08	16x8	झोटवाड़ा रोड, सुभाष नगर जाने वाले रोड के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 2।	
2	VDZ-11	16x8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
3	VDZ- 18	16x8	विद्याधर नगर निर्माण विहार, सेक्टर-3 के आगे सिने स्टार चौराहा के पास फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।	
4	VDZ- 20	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 1।	
5	VDZ- 21	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।	
6	VDZ- 23	16x8	विद्याधर नगर,, माहेश्वरी गल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 1।	
7	VDZ- 40	16x8	झोटवाड़ा रोड, पानीपेच तिराहे पर उत्तरी ओर कच्ची बस्ती के कोने पर समानांतर।	
8	VDZ- 42	16x8	कलेक्ट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर जयसिंह हाईवे की ओर।	
9	VDZ- 44	16x8	कलेक्ट्री सर्किल, कबीर मार्ग के कोने पर, दीवार के समानांतर।	
10	VDZ- 51	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कूल के आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के पश्चिमी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	
11	VDZ- 52	16x8	विद्याधर नगर रोड, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	
12	VDZ- 53	16x8	विद्याधर नगर रोड, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	
13	VDZ- 56	30x15	पानीपेच तिराहा, झोटवाड़ा रोड, अकादमी हाउस की दीवार के पास।	

14	<b>VDZ- 61</b>	30x15	स्टेशन रोड, बलिंगटन सेन्टर के सामने, खासाकोठी चौराहा, मेट्रो पिल्लर के पास फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
15	<b>VDZ- 62</b>	16x8	स्टेशन रोड, जनाना अस्पताल के गेट के पास।	<b>NEW SITE</b>
16	<b>VDZ- 63</b>	16x8	झोटवाड़ा रोड, आईनोक्स सीटी प्लाजा के दोनों गेटों के मध्य फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
17	<b>VDZ- 64</b>	16x8	झोटवाड़ा रोड, ट्राईटन मॉल के पास, भवानी निकेतन स्कूल के दक्षिणी गेट के पास फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
18	<b>VDZ- 65</b>	16x8	कालवाड़ रोड, शहीद मंगेज सिंह पेट्रौल पम्प के पास न्यू ओ.पी. टेलर्स दुकान की दीवार के समानान्तर।	<b>NEW SITE</b>

✓

✓

**यूनिपोल साईट**  
**सिविल लाईन जोन नवम्बर 2017**  
**नीलामी की सूची**

1	CLZ- 07	16X8	सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर के आगे, होटल जयपुर पैलेस के सामने, गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर, टोंक रोड़ देखते हुये।	
2	CLZ- 12	16X8	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास, सहकार भवन देखते हुये।	
3	CLZ- 41	16X8	सरदार पटेल मार्ग, गोर्वमेन्ट प्रेस सर्किल एम.ई.एस. की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानांतर	
4	CLZ- 58	16X8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के उत्तरी कोने पर समानांतर सर्किल देखते हुये, आम्रपाली सर्किल की ओर से वि. प.नं. 2।	
5	CLZ- 59	16X8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के पास, नेशनल हैण्डलूम के सामने फुटपाथ पर समानांतर।	
6	CLZ- 63	16X8	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क, जयपुर।	
7	CLZ- 88	16X8	महावीर मार्ग, महर्षि दाधीच सर्किल पर दुकान नं. 12 की दीवार के सहारे फुटपाथ पर सर्किल देखते हुये।	
8	CLZ- 90	16X8	टोंक रोड़ फल मण्डी रोड़, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर	
9	CLZ- 93	16X8	एम.आई.रोड़, आकाशवाणी की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
10	CLZ- 94	16X8	वरींस रोड़, झारखण्ड महादेव तिराहे, पेट्रोल पंप के सामने, मिलकट्टी दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
11	CLZ-107	30X15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने फुटपाथ पर हसनपुरा देखते हुये।	

<b>12</b>	<b>CLZ-110</b>	<b>30x15</b>	सरदार पटेल मार्ग, चौमूं हाउस प्लाट नं. ए-7 के बाहर।	<b>NEW SITE</b>
<b>13</b>	<b>CLZ-111</b>	<b>16x8</b>	अजमेर रोड, प्रिंस रोड के सामने, डॉ गहलोत के बंगले के पास बने भवन के बाहर फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
<b>14</b>	<b>CLZ-112</b>	<b>16x8</b>	पृथ्वीराज रोड, बगड़ीया भवन चौराहा।	<b>NEW SITE</b>
<b>15</b>	<b>CLZ-113</b>	<b>16x8</b>	अजमेर रोड चर्च रोड कॉर्नर चेतना ट्रेडर्स प्रा.लि. कार्यालय के गेट के पास, फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
<b>16</b>	<b>CLZ-114</b>	<b>16x8</b>	खातीपुरा रोड हटवाड़ा रोड तिराहा, एन.बी.सी. दीवार के पास।	<b>NEW SITE</b>
<b>17</b>	<b>CLZ-115</b>	<b>16x8</b>	खातीपुरा रोड (एन.बी.सी. रोड), जल भवन कार्यालय के गेट के पास।	<b>NEW SITE</b>
<b>18</b>	<b>CLZ-116</b>	<b>16x8</b>	सिरसी रोड, पांच्यावाला सैमसेन शोप के पास फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
<b>19</b>	<b>CLZ-117</b>	<b>16x8</b>	सिरसी रोड, पांच्यावाला एम.डी. हार्डवेयर के पास फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>

**यूनिपोल साईट**  
**मानसरोवर जोन नवम्बर 2017**  
**नीलामी की सूची**

1	MSZ-05	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं.2।	
2	MSZ-07	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
3	MSZ-08	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहे पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
4	MSZ-09	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग चौराहे के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
5	MSZ-21	16x8	गोपालपुरा बाईपास रेलवे पुलिया से पहले गणपति प्रोपर्टी की दुकानों के सामने रेलवे पुलिया देखते हुये।	
6	MSZ-22	16x8	गोपालपुरा बाईपास उत्तरी ओर महेश नगर जोन जाने वाले रास्ते के कोने पर पुलिया देखते हुये।	
7	MSZ-34	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिप्रापथ देखते हुये।	
8	MSZ-36	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पाईट पर गोपालपुरा रोड देखते हुये समानान्तर वि.प.न. 3।	
9	MSZ-40	16x8	गोपालपुरा बाईपास गोपालपुरा रेलवे पुलिया से उत्तरने के बाद पश्चिमी दक्षिणी कोने पर गोपालपुरा रोड देखते हुये।	
10	MSZ-46	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने नाले की पुलिया के पास फुटपाथ पर समानान्तर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते हुये।	
11	MSZ-49	30x15	टोंक रोड, आश्रम मार्ग के उत्तरी-कोने पर फुटपाथ पर।	
12	MSZ-54	16x8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पोईट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस. एफ.एस की ओर।	
13	MSZ-58	30x15	हिम्मत नगर आरोबी के पास, उत्तरी-पश्चिम की ओर पी.एच.डी. पम्प हाउस के गेट के पास हिम्मत नगर देखते हुये।	

14	<b>MSZ-69</b>	<b>16x8</b>	मालवीय नगर गौरव टॉवर के सामने निमार्णधीन बिल्डिंग प्लाट नं. 20-22, 42-45 कल्याण कॉलोनी के कोने पर।	<b>NEW SITE</b>
15	<b>MSZ-70</b>	<b>16x8</b>	मालवीय नगर क्रिस्टल कोट मॉल के सामने सीटी सेंटर के गेट के पास।	<b>NEW SITE</b>
16	<b>MSZ-71</b>	<b>30x15</b>	गोपालपुरा बाईपास रोड, गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर की ओर एस.एम. 1 के बाहर।	<b>NEW SITE</b>
17	<b>MSZ-72</b>	<b>30x15</b>	टॉक रोड, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के दक्षिणी तरफ पेड़ के पास, गोपालपुरा पुलिया देखता हुआ।	<b>NEW SITE</b>
18	<b>MSZ-73</b>	<b>30x15</b>	टॉक रोड, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के दक्षिणी तरफ फुटपाथ पर टॉक पुलिया देखते हुये।	<b>NEW SITE</b>
19	<b>MSZ-74</b>	<b>30x15</b>	न्यू सांगानेर रोड द्वारका पथ मानसरोवर बी-2 बाईपास तिराहा के पश्चिम के फुटपाथ पर।	<b>NEW SITE</b>
20	<b>MSZ-75</b>	<b>30x15</b>	टॉक रोड बी-2 बाईपास चौराहा दक्षिणी-पूर्वी और शमशान घाट की दीवार के पास।	<b>NEW SITE</b>
21	<b>MSZ-76</b>	<b>30x15</b>	जनपथ, श्याम नगर तिराहा पर खाली भूखण्ड के बाहर, श्याम नगर देखता हुआ।	<b>NEW SITE</b>

यूनिपोल साईट  
आमेर जॉन नवम्बर 2017  
नीलामी की सूची

1	AMZ-01	16x8	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उद्यान के सामने पार्किंग के पास फुटपाथ पर।	
---	--------	------	--	--

✓

✓

**यूनिपोल साईट**  
**सांगानेर जोन नवम्बर 2017**  
**नीलामी की सूची**

1	SNZ-42	16x8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	
2	SNZ-44	16x8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	
3	SNZ-53	16x8	टोंक रोड़, सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुये।	
4	SNZ-57	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास आरोबी के पूर्वी ओर आरोबी रेलवे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास।	
5	SNZ-58	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास।	
6	SNZ-59	30x15	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर देखते हुये।	
7	SNZ-61	30x15	महल रोड़, बालाजी टॉवर के खाली भूखण्ड के सामने।	NEW SITE
8	SNZ-62	16x8	टोंक रोड़, पिंजरापोल गोशाला के गेट के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE
9	SNZ-63	16x8	टोंक रोड़, पिंजरापोल गोशाला के सामने।	NEW SITE
10	SNZ-64	16x8	महल रोड़, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के दाईं ओर जीतू पान भण्डार के पास।	NEW SITE
11	SNZ-65	16x8	महल रोड़, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के बाईं ओर डेयरी बूथ के पास फुटपाथ पर।	NEW SITE

**यूनिपोल साईट**  
**हवामहल (पूर्व) जौन नवम्बर 2017**  
**नीलामी की सूची**

1	HMZ (E)- 03	16X8	दिल्ली रोड़ बाईपास, ईदगाह के पास पूर्व की ओर।	
2	HMZ(E)-8	16X8	दिल्ली रोड़ बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.न. 4।	
3	HMZ(E)-16	30X15	आगरा रोड़ कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर गोविंद मार्ग देखते हुये।	
4	HMZ(E)-19	30X15	दिल्ली बाईपास रोड़, आर.ए.सी. बटालियन 5 को जाने वाले रास्ते के पास, डेयरी बूथ के पास।	NEW SITE

✓

P



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)

नवम्बर 2017 नीलामी की सूची

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	क्षेत्र
1	हवामहल (पूर्व) जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
2	विद्याधर नगर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
3	मोतीझुंगरी जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
4	सांगानेर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र

✓

†



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री)

नवम्बर 2017

नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	सीकर रोड, भवानी निकेतन गल्स कॉलेज के बाहर।
2	सीकर रोड, खेतान हॉस्पिटल के सामने।
3	झोटवाड़ा, हाईपर सिटी।
4	एम.आई.रोड, अजमेरी गेट।
5	सहकार मार्ग, परिवहन कार्यालय के पास।
6	सरदार पटेल मार्ग, बीजेपी कार्यालय के सामने।
7	अजमेर रोड, अजमेर पुलिया के पास।
8	सरदार पटेल मार्ग, गर्वनमेंट हॉस्टल।



कार्यालय नगर निगम जयपुर  
4 निर्मित यूनिपोल "20x10"  
नवम्बर 2017  
नीलामी की सूची

क्र. सं.	स्थान	
1	आमेर कुण्डा।	
2	पानी पेच।	
3	अम्बाबाड़ी, विधाधर नगर।	
4	रामगढ़ मोड़।	

✓

✓



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित सुलभ शौचालय

नवम्बर 2017

नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	सिविल लाईन्स फाटक कॉर्नर।
2	सोडाला 4 नम्बर डिस्पेन्सरी।
3	हटवाड़ा मोड़ के पास, एन.बी.सी.।
4	विपुल मोटर्स के सामने, अजमेर रोड़।
5	नर्सरी सर्किल, वैशाली के पास, जयपुर।
6	भगतसिंह पार्क, गोविन्द मार्ग।
7	धर्मसिंह सर्किल, गोविन्द मार्ग।
8	रिद्धी-सिद्धी चौराहा, गोपालपुरा।
9	गौरव-टॉवर, जयपुर।
10	कॉवंटिया सर्किल, शास्त्री नगर।

✓

✓



**कार्यालय नगर निगम जयपुर**  
**नये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) 8'x4'**

नवम्बर 2017

**नीलामी सूची में प्रथम बार शामिल**

क्र. सं.	साईज	जोन का नाम	स्थान का विवरण
1	8x4	MSZ	महारानी फार्म पुलिया।
2	8x4	MSZ	मानसरोवर एस.एफ.एस. चौराहा, फ्लैट ब्लॉक – ए की ओर।
3	8x4	MSZ	मानसरोवर एस.एफ.एस. चौराहा, एस.एफ.एस. की ओर।
4	8x4	MSZ	अजमेर रोड, हनुमान मन्दिर, पेट्रोल पम्प।
5	8x4	MSZ	मानसरोवर वी.टी. रोड।
6	8x4	MSZ	मानसरोवर मेट्रो स्टेशन।
7	8x4	MSZ	गोपालपुरा बाईपास, महावीर नगर टर्न के पास।
8	8x4	MSZ	गोपालपुरा बाईपास, रिह्भी-सिह्भी चौराहा सुलभ के पास।
9	8x4	MSZ	टॉक रोड, 1 <sup>st</sup> सिनेमा के बाहर।
10	8x4	MSZ	गोपालपुरा आरओबी, शिव-शक्ति मिष्ठान भंडार के पास।
11	8x4	MSZ	टॉक रोड, दुर्गापुरा बस स्टैण्ड के पास।
12	8x4	MSZ	जे.एल.एन. मार्ग, इनकम टैक्स रोड के कोने पर।
13	8x4	MSZ	बी-2 बाईपास, शिप्रापथ चौराहा बांझ ओर।
14	8x4	MSZ	बी-2 बाईपास, शिप्रापथ चौराहा दांझ ओर।
15	8x4	MSZ	मिलाप नगर, टॉक रोड।
16	8x4	VDZ	खातीपुरा रोड, शनि-मन्दिर के पास।
17	8x4	VDZ	झोटवाडा रोड, पानीपेच डेजर्ट ईन के पास।
18	8x4	VDZ	मुरलीपुरा चौराहा, सीकर रोड।
19	8x4	VDZ	विद्याधर नगर, सेन्ट्रल स्पाईन चौराहा।
20	8x4	VDZ	विद्याधर नगर, नेशनल हैण्डलूम के पास।
21	8x4	VDZ	शास्त्रीनगर सर्किल।
22	8x4	VDZ	विद्याधर नगर रोड, स्वर्ण जयंति गार्डन के सामने, विद्याधर नगर जाने वाले रास्ते के फुटपाथ पर।
23	8x4	CLZ	अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम।

24	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	सहकार मार्ग, हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप ऑफिस के पास।
25	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	खातीपुरा रोड़, एन.बी.सी. कम्पाउन्ड के बाहर, हटवाड़ा तिराहे के सामने।
26	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	खातीपुरा रोड़, सिरसी रोड़, खातीपुरा तिराहे पर।
27	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	कर्वीस रोड़, झारखण्ड महादेव के पास।
28	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	कर्वीस रोड़, गांधी—पथ के सामने।
29	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	पृथ्वीराज रोड़, बगड़ीया भवन चौराहा दुर्लभ की बिल्डिंग के बाहर।
30	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ तिराहा।
31	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	महेश नगर मोड़, गोपालपुरा बाईपास नाले के पास।
32	<b>8x4</b>	<b>CLZ</b>	22 गोदाम पुलिया से पहले।
33	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	जे.एल.एन. मार्ग, रामनिवास गेट।
34	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	बालाजी मोड़, जगतपुरा।
35	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	शांति पथ, विजय मार्ग के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे।
36	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	मालवीय नगर केलगिरी रोड़, पेट्रोल पंप के पास।
37	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	जवाहर नगर बाईपास, अरण्य भवन की दीवार के पास।
38	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	प्रधान मार्ग, पुलिया।
39	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	धर्मसिंह सर्किल।
40	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहा।
41	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	जे.एल.एन. मार्ग, महावीर उद्यान के पास।
42	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर कला केन्द्र।
43	<b>8x4</b>	<b>MDZ</b>	जेडीए सर्किल।
44	<b>8x4</b>	<b>SNZ</b>	टॉक रोड़, सीतापुरा आरओबी के पास।
45	<b>8x4</b>	<b>SNZ</b>	टॉक रोड़, हल्दी—घाटी मार्ग, प्रताप नगर।
46	<b>8x4</b>	<b>SNZ</b>	गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी नगर मोड़।
47	<b>8x4</b>	<b>SNZ</b>	मालवीय नगर, गौरव टॉवर।
48	<b>8x4</b>	<b>SNZ</b>	जगतपुरा पुलिया।
49	<b>8x4</b>	<b>HMZ(E)</b>	नवल किशोर रोटरी टनल के खाली मैदान के पास।
50	<b>8x4</b>	<b>AMZ</b>	रामगढ़ मोड़ चौराहा, खण्डेलवाल पवित्र भोजनालय के सामने, नाले के पास, आमेर।



**कार्यालय नगर निगम जयपुर**  
**नये बैकलिट टॉवर साईट्स**  
**नवम्बर 2017**  
**नीलामी सूची में प्रथम बार शामिल**

**बैकलिट टॉवर साईट्स**

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए चौराहा, बिड़ला मंदिर की ओर आईलैण्ड पर।
2	टोंक रोड़, बी-2 बाईपास चौराहा दक्षिणी-पश्चिम की ओर।
3	एस.एफ.एस. चौराहा, मानसरोवर एस.एफ.एस. की ओर।
4	न्यू सांगानेर रोड़, विजयपथ चौराहा सर्विस रोड़ के फुटपाथ पर।
5	अजमेर रोड़ 200 फीट बाईपास के पहले।
6	जवाहर नगर बाईपास, शांति-पथ तिराहे के पास।
7	ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा।
8	दिल्ली बाईपास, बंद की घाटी के पास।
9	टोंक रोड़, दुग्गड़ गार्डन के बाहर।
10	स्टेशन रोड़, रिजर्व पुलिस लाईन के सामने फुटपाथ पर।
11	विद्याधर नगर रोड़, अमानीशाह दरगाह के पास डिवाईडर पर।
12	विद्याधर नगर रोड़, रोड़ क्रोस मॉल के पास आईलैण्ड पर।
13	जगतपुरा— मालवीय नगर रोड़, सेक्टर 15 मालवीय नगर जाने वाले मार्ग के कोने पर बी-1 प्लाजा के पास आईलैण्ड पर।
14	गोपालपुरा बाईपास, गुर्जर की थड़ी, शांतिनगर जाने वाले रास्ते के आईलैण्ड पर।
15	जवाहर नगर बाईपास, नवल किशोर शर्मा रोटरी के पास आईलैण्ड पर।



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें

नीलामी : नवम्बर 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (1 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी एक समूह में निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 15,000/- अक्षरे (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) प्रति निर्मित शौचालय पर अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
- उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जावेगी।
- निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
- बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
- विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देवे।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 1 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (1 दिसम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
- निगम द्वारा लाईसेंसी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेंसी को करनी होगी।
- निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जायेगा एवं इन्हें लाईसेंसी द्वारा तुरंत हटाया जायेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
- लाईसेंस अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन

- किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा । निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी ।
11. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूरिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा । लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा । शौचालयों की सुविधाओं को दुरस्त हालत में रखना होगा । कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी । अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
  12. लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन उपायुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालत में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
  13. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा ।
  14. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिरल का कोई शुल्क नहीं होगा । निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखाता हुआ लगाना अनिवार्य होगा ।
  15. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टॉयलेट की सफाई, यूनिरल फर्श व दीवारे, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी । सफाई के लिए फ्नाईल, नेफ्थीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी । उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा । शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा । शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा ।
  16. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा ।
  17. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा ।
  18. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा ।
  19. लाईसेंसी किसी अन्य व्यक्ति/ऐजेन्सी फर्म को हस्तानान्तरित नहीं करेगा ।
  20. लाईसेंसी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा ।
  21. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
  22. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा ।
  23. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
  24. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी ।
  25. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
  26. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा ।
  27. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।
  28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा ।

  
 लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)  
 नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की

लाईसेन्स की शर्त नीलामी : नवम्बर 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्त :-

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक—पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साइज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार) रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 दिसम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2020 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जायेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जायेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तनुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तें/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि के नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
9. लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा रख्य के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्च वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटाने की कार्यवाही में यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से '16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं '30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की रखय की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

  
लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व—प्रथम)  
नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री) की शर्तें

नीलामी : नवम्बर 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
- उच्चतम बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जायेगी तथा ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
- ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफलेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
- बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
- नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 दिसम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2020 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार

का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।

10. लाईसेन्स अधिकारी में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी । ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्ज पर ठीक करवाना होगा । ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा । ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी ।
11. अमानता राशि लाईसेन्स अधिकारी समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
13. जनहित / यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाइसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा । इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा । 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा ।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेन्स ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी ।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी ।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर / शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा ।
20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा ।
21. लाईसेन्स की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति / बोर्ड का होगा जो मान्य होगा ।

  
**लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)**  
**नगर निगम जयपुर**



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : नवम्बर 2017

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाईसेन्स की जोन बार नीलामी की शर्त निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार की जावेगी।

- लाईसेन्स की अवधि :— विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेन्सधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- क्षेत्र :— कियोस्क की नीलामी निगम के तीन जोनों के लिए पृथक—पृथक होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकेगा। जोनों का क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

### हवामहल जोन (पूर्व):-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ड्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ड्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूँगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

### विद्याधर नगर जोन:-

चांदपोल गेट से उत्तर की ओर परकोटे के बाहर का क्षेत्र जिसमें नाहरी का नाका सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुलिस अकादमी का क्षेत्र चांदपोल गेट बाहर से स्टेशन रोड को शामिल करते हुए, रेलवे स्टेशन का उत्तरी भाग जिसमें बनीपार्क बड़ोदिया बस्टी झोटवाडा रोड शामिल है। रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर रेलवे पर निगम सीमा तक उत्तरी ओर का भाग जिसमें झोटवाडा सीकर रोड, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, अम्बाबाड़ी क्षेत्र शामिल है।

### मोतीझुंगरी जोन:-

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम. आई. रोड शामिल करते हुये आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग/घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोड़ते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमें गोविन्द मार्ग मोतीझुंगरी रोड, जवाहर नगर जनता कॉलोनी आदर्श नगर तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल है, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टॉक रोड टॉक पुलिया शामिल एवं पूर्व का भाग शामिल है टॉक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाईन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है।

### सांगानेर जोन:-

न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) की रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग को शामिल करते हुये समस्त सांगानेर क्षेत्र एवं टॉक रोड, तारो की कूट, ई.पी.चौराहे से दक्षिणी भाग से नगर निगम सीमा तक का ऐरिया एवं जवाहर सर्किल से मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग जिसमें मालवीय नगर ढी-ब्लॉक, जगतपुरा पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग का समस्त ऐरिया शामिल है।

- निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
  - सर्किल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर।
  - पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।
  - राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड (जनपथ रोड) पांचबत्ती से विधान सभा तक जे.एल.एन. रोड इत्यादि एवं सहकार सर्किल, बाईस गोदाम पुलिया से बाईस गोदाम सर्किल तक।
- खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्ज़—खर्च के लिए लाईसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा विलेप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
- खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विद्युत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
- जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही ही लाईसेन्सी कियोस्क लगावा सकेगा वहा यदि सड़कों के दायें और बायें खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अरथाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
- खम्बों पर कियोस्क सड़क / डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाईसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुधारा रखेगा। तथा निगम की उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भड़कीले तथा आपति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्ज़—खर्च लाईसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया

- जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जाये।
9. कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. लाईसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
11. कियोस्क लाईसेन्सी को स्वयं के खर्च पर लगाने होंगे तथा लाईसेन्सी की सम्पति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एक रुपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्च लाईसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 1,00,000/- अक्षर (एक लाख रुपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
13. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ—2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़चन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुर्णभरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेन्सधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा समस्त कियोस्क को विना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेन्सधारी द्वारा जमा कराई जायेगी। इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।
22. नीलामी में लिए गये कियोस्क के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व—प्रथम)  
नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : नवम्बर 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साईटों के लिए नीलामी सूची अनुसार पृथक—पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साईटों की नीलामी एक वर्ष (01 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साईट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के लिए रूपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साईट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक /डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी (वर्ष 01 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2019) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक /डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक /डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (01 दिसम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक /डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तें/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साईट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।



10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
12. लाईसेन्स अवधि में 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम—2009 एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
22. अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जायेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
23. लाईसेंस समाप्ति पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

*R*  
लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व—प्रथम)  
नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

नये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) साईज 8'X4'

पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की

लाईसेन्स की शर्तें नीलामी वर्ष : नवम्बर 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम सीमा में आने वाले 50 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एकजाई-एकमुश्त की जायेगी ।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एक वर्ष (1 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018) तक के लिए की जावेगी, जिसकी साईज 8'X4' फीट स्वीकृत सूची के अनुसार होगी । अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी । नीलामी एक वर्ष के लिए होगी । नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
3. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के लिए पचास हजार रुपये बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे । उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी । असफल बोलीदाता को अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी ।
4. नीलामी के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता की बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी । इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता / फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी । आगामी वर्ष (1 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2019) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । इस प्रकार वर्ष (1 दिसम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी किये जाने के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्तें नहीं होगी । नगर निगम लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में सहयोग करेगा एवं लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी । इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा ।
8. बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं लगायेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी शर्तों / उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) से अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा ।
9. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
10. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा । इससे भिन्न रूप से लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की वृद्धि से इन लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का निर्माण करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जायेगा । कोई भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर डबल साईड विज्ञापन नहीं होगा ।

12. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन, नियोन अथवा चलित बोर्ड, किल्मी पोस्टर आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा ।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अपनी फर्म का नाम एवं साइट नम्बर, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा । ऐसा न करने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा ।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे अधी, तुफान आदि की रिथ्ति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीचे नहीं गिरे । अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी । नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी जयपुर नगर निगम जयपुर, विज्ञापन विधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करें ।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घन्टे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी ।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-1959 एवं राजस्वान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पब्लिक रिकवरी एवट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा ।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य रिथ्ति में कोई राशि वापस नहीं होगी ।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा ।
25. अगर कोई लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की रिथ्ति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
26. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा ।
27. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम विज्ञापन समिति का होगा जो मान्य होगा ।
28. सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) एकरूपता से होंगे । भूमि/फुटपाथ की सतह से सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ऊँचाई/फुट होगी । साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा ।

  
लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर

# कार्यालय नगर निगम, जयपुर



(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

## ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : नवम्बर 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर 15 साइटों के समूह के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर (01 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018) तक के लिए की जायेगी। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञाप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर दो तरफ विज्ञापन एवं एक तरफ नगर निगम का स्लोगन लगाना होगा।
4. 15 साइटों के समूह के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए रुपये 3,00,000 (तीन लाख रुपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी। उच्चतम बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष के लिए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों का (01 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2019) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। दूसरे वर्ष के लिए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों का नवीनीकरण (01 दिसम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
7. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीचे नहीं गिरे। ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
11. लाईसेन्स अवधि में ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
12. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
13. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो धंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
14. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
15. विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
16. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
18. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
19. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
21. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर सही हालत में होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
22. लाईसेंस समाप्ति पर ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नगर निगम जयपुर को संभलाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से ट्रैन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर